

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठारीन अधिकारी : श्री गोहकम सिंह शिनशिनवार, आर.ए.एस.
(जीरीएगएस नं. 2025/230)

प्रकरण संख्या:-117/2025

तारीख दायर:-17/11/2025

निर्णय दिनांक:-21/12/2025

उपनाम

1. जयराम पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी हीराखेडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य।
प्रार्थीगण।

बनाम

1. वन्नालाल पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी हीराखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द व अन्य।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हीराखेडा पटवार सर्कल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 61 खसरा संख्या 276, 277, 278, 279, 280, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409 कुल किता 16 कुल रकबा 4.8400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 158 खसरा 404, 405, 406 कुल किता 03 कुल 0.2800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 06 एवं 09 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 06 एवं 09 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 07, 08 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 07, 08 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से जवाब का अवसर बन्द किए जाने के आदेश दिए गए।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हीराखेडा पटवार सर्कल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 61 खसरा संख्या 276, 277, 278, 279, 280, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 4.8400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 158 खसरा 404, 405, 406 कुल कित्ता 03 कुल 0.2800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी रो पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्च पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर लोक अदालत में सुनाया गया।



21/12/2025
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)